मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल—462004

क्रमांक एफ. 7-74/2003/आ.प्र./एक, भोपाल, दिनांक 21-7-2003

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म.प्र., ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय :—अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण-पत्र फर्जी/गलत पाये जाने पर संबंधित लोक सेवक के विरुद्ध कार्यवाही.

संदर्भ :—इस विभाग के क्रमांक :—(1) ज्ञाप क्रमांक सी. 3-22/93/3/एक, दिनांक 30 अगस्त, 1993.
(2) ज्ञाप क्रमांक एफ. 7-2/96/आ.प्र./एक, दिनांक 1 अगस्त, 1996.
(3) आदेश क्रमांक एफ. 7-1/96/आ.प्र./एक, दिनांक 8 सितम्बर, 1997.

शासकीय सेवकों की आरंभिक भरती/नियुक्ति के पश्चात् अपात्र अथवा अयोग्य पाए जाने की स्थिति में उनके विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के विषय में इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 30 अगस्त, 1993 द्वारा निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये गये थे :—

(अ) जहां कहीं भी यह पाया जाए कि कोई शासकीय सेवक भरती नियमों आदि की शर्तों के अनुसार सेवा में प्रारंभिक भरती के लिये अर्ह या पात्र नहीं था अथवा नियुक्ति प्राप्त करने के लिए उसने झूठी सूचना दी थी या झूठा प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया हो तो उसै सेवा में बनाए नहीं रखा जाना चाहिये.

(ब) ऐसा शासकीय सेवक यदि परिवीक्षाधीन या अस्थायी है तो उसे सेवा-मुक्त (Discharge) कर दिया जाए या उसकी सेवाएं समाप्त (Terminate) कर दी जाएं.

(स) यदि ऐसा शासकीय सेवक स्थायी हो गया हो तो मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 14 में निर्धारित जांच कराई जाए एवं आरोप सिद्ध होने पर उसे सेवा से हटाया (Remove) या बर्खास्त (Dismiss) कर दिया जाए. किसी भी दशा में कोई अन्य शास्ति नहीं दी जाए.

(द) तथापि इस प्रकार सेवा मुक्त करने/सेवा समाप्त करने/सेवा से हटाने या बर्खास्त करने से ऐसे शासकीय सेवक पर अभियोजन चलाने के सरकार के अधिकार पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

2. गलत जाति प्रमाण-पत्र के संबंध में कार्यवाही के विषय में इस विभाग के संदर्भित परिपत्र दिनांक 1 अगस्त, 1996 की कण्डिका 21 में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित किये गये थे :—

"जांच समिति या प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जांच में यह पाया जाता है कि जाति प्रमाण-पत्र आवेदक द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्राप्त किया गया है तो आवेदक को जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर ली गई सुविधाओं से तो वंचित होना ही पड़े साथ उसके द्वारा जो लाभ प्राप्त किया गया है उसकी भरपाई भी करना पड़ेगी. यदि उसने शैक्षणिक संस्थाओं, मेडिकल, इंजीनियरिंग आदि में प्रवेश ले लिया है तो उसका प्रवेश रद्द किया जावेगा. शासन द्वारा उस पर किये गये खर्च की क्षतिपूर्ति भी उसे करनी होगी तथा संबंधित के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी. जांचकरर्ता अधिकारी द्वारा असावधानीपूर्वक गलत जाति प्रमाण-पत्र जारी किया गया है तो उस प्राधिकृत अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं विभिन्न कानूनों के अंतर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी."

3. उपरोक्त परिपत्र दिनांक 1 अगस्त, 1996 द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण-पत्रों के मामलों की छानबीन करने के लिये राज्य स्तर पर एक उच्च स्तरीय छानबीन समिति गठित करने का प्रावधान किया गया था. साथ ही, ये भी निर्देश प्रसारित किये गये थे कि छानबीन समिति द्वारा यह पाये जाने पर कि जाति प्रमाण-पत्र फर्जी एवं गलत पाये गये हैं तो ऐसी स्थिति में संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध विभागाध्यक्ष, संभागीय आयुक्त, कलेक्टर द्वारा आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जायेगा तथा उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक एवं विभिन्न अधिनियमों के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी.

4. तत्पश्चात् इस विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 8 सितम्बर, 1997 द्वारा जाति प्रमाण-पत्रों की जांच करने के लिए राज्य स्तर पर उच्च स्तरीय छानबीन समिति का गठन किया गया था. साथ ही, छानबीन समिति द्वारा अपनाई जाने वाली जांच प्रक्रिया के विषय में दिशा-निर्देश प्रसारित किये गये थे जिसमें उल्लेख था कि छानबीन समिति द्वारा पारित आदेश अंतिम होगा.

5. लेटर्स पेटेन्ट अपील क्रमांक 31/2002 गोवर्धनलाल माण्डीवाल विरुद्ध मध्यप्रदेश राज्य एवं अन्य में उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि उच्च स्तरीय समिति, जांच उपरांत, किसी शासकीय सेवक को झूठे प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने का दोषी पाती है, तो इस निष्कर्ष को एक बार उच्च न्यायालय में और विशेष अनुमति याचिका द्वारा उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है, परन्तु उस पर इसके अलावा, अन्य किसी कार्यवाही में नये सिरे से विचारण नहीं हो सकता.

6. शासन के समक्ष यह बिन्दु विचारणीय था कि आरक्षित कोटे के तहत् लोक सेवा अथवा पद पर नियुक्ति पा चुके किसी व्यक्ति को, उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जांच के उपरांत फर्जी/झूठे/गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे लोक सेवक की सेवायें समाप्त करने के लिये क्या मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत् अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाना आवश्यक है?

7. उपरोक्त विषय में परीक्षणोपरांत पाया गया कि अनुशासनिक नियम तभी प्रभावी होंगे जबकि कोई कदाचरण सेवा अवधि में किया गया हो. किसी लोक सेवक द्वारा, यदि जाति प्रमाण-पत्र लोक सेवा या पद में नियुक्ति/नियोजन के पूर्व दिया गया है तो ऐसे जाति प्रमाण-पत्र के बाद में असत्य पाये जाने पर, अनुशासनिक नियम प्रभावी नहीं होते हैं.

8. समस्त स्थितियों के परीक्षणोपरांत राज्य शासन इस विषय में निम्नानुसार निर्देश प्रसारित करता है :—

(1) यदि किसी व्यक्ति को उसके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षित कोटे के तहत् लोक सेवा या पद पर नियुक्ति की जाती है और बाद में, इस संबंध में गठित उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जांच के उपरांत फर्जी/झूठा/गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति पाने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे लोक सेवक की सेवायें नीचे दर्शायी गयी प्रक्रिया अपनाकर समाप्त की जायें :—

(अ) यदि लोक सेवक परिवीक्षाधीन अथवा तदर्थ रूप से नियुक्त है तो उसकी सेवायें बिना पूर्व नोटिस के तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायें.

(ब) यदि लोक सेवक अस्थायी रूप से नियुक्त है तो उसकी सेवायें एक माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में एक माह के वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जायें.

(स) यदि लोक सेवक स्थायी है तो उसकी सेवायें तीन माह का नोटिस देकर अथवा उसके एवज में तीन माह के वेतन एवं भत्ते देकर समाप्त की जायें.

(द) लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आने वाले पदों पर आयोग से परामर्श करने के बाद ही उक्तानुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही की जाय.

(2) किसी व्यक्ति ने लोक सेवा अथवा पद पर आरक्षित कोटे के तहत् नियुक्ति नहीं पाई है परन्तु बाद में, सेवावधि में उसके द्वारा प्रस्तुत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर, उसे अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के आरक्षित कोटे के तहत् पदोन्नति का लाभ प्राप्त होता है, बाद में, इस संबंध में गठित उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा जांच के उपरांत फर्जी/झूठा/गलत जाति प्रमाण-पत्र के आधार पर पदोन्नति पाने का दोषी पाया जाता है तो ऐसे लोक सेवक की सेवायें मध्यप्रदेश सिविलसेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के तहत् संक्षिप्त जांच प्रक्रिया अपनाकर समाप्त की जायें. अर्थात् संबंधित लोक सेवक को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कारण बताओ नोटिस देकर उसका पक्ष रखने का अवसर दिया जाये. तत्पश्चात् उसके प्रतिवाद उत्तर का परीक्षण कर दोषी पाये जाने पर उसे नियम 10 के उपनियम (आठ) में वर्णित सेवा सा हटाया जाना (Remoal from service) अथवा उपनियम (नौ) में वर्णित सेवा से पदच्युत किया जाना (Dismissall from service) की शास्ति अधिरोपित की जाय. लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र में आने वाले पदों पर लोक सेवा आयोग से परामर्श करने के बाद ही उक्तानुसार शास्ति अधिरोपित की जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हस्ता./-
(एम. के. वर्मा)
अतिरिक्त सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.